

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1863
30.07.2021 को उत्तर के लिए

जंगलों की आग में वृद्धि

1863. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, श्री सुब्रत पाठक, श्री चन्द्रशेखर साहू, श्री मनोज तिवारी, श्री प्रतापराव जाधव, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री देवजी पटेल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री बिद्युत बरन महतो और श्री बालक नाथ:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में जंगल में आग लगने के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो माउंट आबू, राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस प्रकार की आग के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए अब तक कोई अध्ययन कराया गया है, और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;
- (ग) क्या जंगलों की आग का वनों में वनस्पति और जीव-जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का इस तरह की आग को नियंत्रित करने के लिए वन कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) जंगलों की आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा सूखे पत्तों की खाद बनाने सहित किन-किन अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है; और
- (च) जंगलों की आग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) : देश में दावानल की घटनाओं की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है जो विभिन्न प्राकृतिक और मानव-जनित कारणों पर निर्भर करती है। वनों में आग प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दौरान विभिन्न प्राकृतिक और मानव-जनित कारणों, जिनमें सूखी पत्तियों, टहनियों, देवदार की नुकीली पत्तियों आदि जैसी ज्वलनशील सामग्रियों का संचय शामिल है, से लगती है। इन तथ्यों का उल्लेख, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में भी किया गया है। देश में वनों में लगने वाली अधिकांश आग, जमीनी आग होती है, जिसमें वनस्पतियां आदि जल जाती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा, इस चेतावनी प्रणाली पर सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को दावानल की चेतावनियां भेजी जाती हैं। दावानल के पिछले तीन मौसमों के दौरान एफएसआई द्वारा भेजी गई दावानल चेतावनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I में और माउंट आबू तथा राजस्थान के लिए भेजी गई दावानल चेतावनियों की संख्या अनुबंध-II में दी गई हैं।

(घ), (ड.) और (च) : दावानल निवारण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। मंत्रालय केंद्र- प्रायोजित दावानल निवारण और प्रबंधन योजना के अंतर्गत अग्निशमन के लिए आधुनिक उपकरणों, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि, वन क्षेत्रों में अग्नि-रेखाओं के सृजन एवं अनुरक्षण, दावानल पहरेदारों के नियोजन, वन क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण, वन अवसंरचना के सुदृढीकरण, अग्निशामक उपकरणों की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, जागरूकता सृजन, दावानल से सुरक्षा के लिए गांवों/समुदायों को प्रोत्साहन प्रदान करने आदि जैसे विभिन्न दावानल निवारण और प्रबंधन उपायों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके दावानल के निवारण और नियंत्रण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा दावानल चेतावनी प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) एफएसआई ने अपनी चेतावनी प्रणाली के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा की है। अब ऐसे पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 1.30 लाख हो गई है।
- (ii) एफएसआई द्वारा दावानल के “साप्ताहिक शीघ्र-चेतावनी अलर्ट” तैयार किए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किया जाता है।
- (iii) एफएसआई द्वारा जनवरी, 2019 में एक नवाचारी “बृहत् दावानल निगरानी” कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दावानल की बड़ी घटनाओं से युक्तिसंगत और कार्यनीतिक तरीके से निपटने के उपायों में सुधार लाना है।

एफएसआई द्वारा की गई उपर्युक्त पहलों के अलावा, सरकार ने मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया है जो दावानल से उत्पन्न समस्याओं की देख-रेख करती है। इस समिति ने सभी राज्यों को परामर्श दिया है कि वे दावानल के संबंध में राज्य-स्तरीय निगरानी समिति के गठन, दावानल संबंधी राज्य कार्य-योजना तैयार करने और दावानल जोखिम संभावित क्षेत्र के मानचित्रण सहित अनेक उपाय करें।

“जंगलों की आग में वृद्धि” के संबंध में दिनांक 30.07.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1863 के भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर (इसमें बड़ी, निरंतर और बार-बार लगने वाली जंगल की आग शामिल है) का उपयोग करते हुए एफएसआई द्वारा दावानल की चेतावनियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नवंबर 2018 से जून 2019	नवंबर 2019 से जून 2020	नवंबर 2020 से जून 2021
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37	39	16
आंध्र प्रदेश	15746	9996	19328
अरुणाचल प्रदेश	2617	1786	3914
असम	5935	8924	10718
बिहार	2450	614	5179
चंडीगढ़	0	2	0
छत्तीसगढ़	25750	6360	38106
दादर और नगर हवेली	19	21	33
दमन और दीव	2	0	1
दिल्ली	20	21	14
गोवा	140	47	45
गुजरात	2885	2770	3803
हरियाणा	135	68	152
हिमाचल प्रदेश	1446	536	4110
जम्मू और कश्मीर	661	438	1098
झारखंड	6221	2613	21713
कर्नाटक	8078	4232	5784
केरल	1162	864	296
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	22108	9537	47795
महाराष्ट्र	26939	14018	34025
मणिपुर	7384	8800	10457
मेघालय	5797	6762	7658
मिजोरम	7597	7361	12846
नागालैंड	2898	2905	4975
ओडिशा	19159	10602	51968
पुडुचेरी	4	0	1
पंजाब	214	153	635
राजस्थान	3025	3461	3402
सिक्किम	64	47	63
तमिलनाडु	4402	1368	1220
तेलंगाना	15262	12132	18237
त्रिपुरा	3083	4369	5015
उत्तर प्रदेश	4428	1548	8608
उत्तराखंड	12965	759	21487
पश्चिम बंगाल	1653	1320	3287
कुल	210286	124473	345989

“जंगलों की आग में वृद्धि” के संबंध में दिनांक 30.07.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1863 के भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

माउंट आबू वन्यजीव डिविज़न (राजस्थान वन विभाग द्वारा प्रदान की गई परिसीमा) के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर (इसमें बड़ी, निरंतर और बार-बार लगने वाली जंगल की आग शामिल है) का उपयोग करते हुए एफएसआई द्वारा पता लगाई गई दावानल चेतावनियों की संख्या

माउंट आबू वन्यजीव डिविज़न	एसएनपीपी-वीआईआईआरएस द्वारा पता लगाई गई दावानल चेतावनियां		
	नवंबर, 2018 से जून, 2019	नवंबर, 2019 से जून, 2020	नवंबर, 2020 से जून, 2021
	16	32	25